भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 419वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त

स्थान - तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, एनएमए

दिनांक एवं समय- 21 दिसम्बर, 2023 अपराह्न 02:00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया;

1. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ***अध्यक्ष***
2. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (*वस्तुतः उपस्थित हुए*)
3. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
4. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

<u>कार्यसूची 01</u>

418वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>कार्यसूची 02</u>

<u>मामला संख्या: 01</u>

(श्री ए सतीश सेल्वा एंटोन, नंबर 5, नंदी नगर, कीलकट्टलाई, चेन्नई-600117, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वेक्षण संख्या 45/26, कीलकट्टलाई, पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में कुल **9.48** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=107.41 वर्गमीटर, प्रस्तावित हेडरूम क्षेत्र=11.49 वर्गमीटर, चारदीवारी=1.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी,

तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 02</u>

(श्रीमती विजया लक्ष्मी एवं श्रीमती दीपिका एलंगोवन, नं. 86 सिथी विनेगर सलाई, सुभम नगर पार्ट-1, पल्लावरम, चेन्नई-600117, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पी.नं. 90/क्र.सं.19/2, जमीन पल्लावरम, कांचीपुरम तमिलनाडु में कुल **15.39** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=1एफ=2एफ=3एफ=55.57 वर्गमीटर, सीढ़ी और हेडरूम क्षेत्र=43.68 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 03</u>

(श्री पी. अरुमुगम, नं. 7/427, हस्तिनापुरम सलाई 7वां क्रॉस स्ट्रीट, नानमंगलम, कांचीपुरम, तमिलनाडु-6000117)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने पी.एन. 102, एस.नं.15/2,3 जमीन पल्लावरम, पल्लावरम, चेंगलपट्टू तमिलनाडु में कुल **16.88** मीटर की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट=1एफ=2एफ=3एफ=42.32 वर्गमीटर, हेडरूम और लिफ्ट मशीन रूम क्षेत्र=12.97 वर्गमीटर, चारदीवारी=1.52 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 04

(श्री रियाज हैदर, 169/027/ए, वार्ड रानी लक्ष्मी बाई, मुहल्ला ख्याली गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 10.50 मीटर तक सीमित होनी चाहिए (सभी को सम्मिलित करते हुए)।
ख) प्रस्तावित निर्माण स्थल के आवेदकों को स्वामी के रूप में सिद्ध करने वाले संपत्ति दस्तावेजों की पूरी श्रृंखला प्रदान नहीं की गई है।
ग) संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार संपत्ति संयुक्त स्वामित्व में है जबकि फॉर्म-I/फॉर्म-II में केवल एक स्वामी का नाम दर्शाया गया है।
घ) भवन योजना पर लाइसेंस प्राप्त वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षर और मोहर नहीं लगाई गई है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

मामला संख्या: 05

(सबीना खान, 194/21, लक्ष्मण प्रसाद रोड, वजीरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को ऊंचाई 10.50 मीटर तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया (सभी को सम्मिलित करते हुए)। आवेदक अनुपालन के बाद सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन पुनः प्रस्तुत करे।

मामला संख्या: 06

(श्री हरिबल्लभ सिंह पुत्र श्री रामबाबू सिंह, 447, अहीर पाड़ा, वृन्दावन बांगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 10.50 मीटर तक सीमित होनी चाहिए (सभी को सम्मिलित करते हुए)।

ख) फ्रॉम-I/फॉर्म-II/स्व-घोषणा के अनुसार केवल एक स्वामी के नाम का उल्लेख किया गया है जबकि संपत्ति के दस्तावेज और भवन योजना दो स्वामियों के नाम इंगित करती हैं।

ग) भवन योजना पर किसी लाइसेंस प्राप्त वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षर और मोहर नहीं लगाई गई है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, आगरा के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या: 07</u>

(श्री मेहुल महेशभाई ठाकर और श्रीमती तन्वी मेहुल ठाकर, प्लॉट नंबर 8, अश्वमेघ कॉम्प्लेक्स, मंगलम क्रॉस रोड भुज, कच्छ, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 8/ए, आरएस नंबर 870/पाल्की, वार्ड क्रमांक 5/2, सी.एस. नं. 2107/पार्ट, भुज, कच्छ, गुजरात में कुल **9.27** मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=52.77 वर्गमीटर, 1एफ=50.31 वर्गमीटर, एससी=09.54 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 08</u>

(श्री शेख इस्तियाअहमद गुलाममोहम्मद, 225, राजाजी नी पोल, बुरखापोश नी मस्जिद के सामने, शाहपुर, अहमदाबाद, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीएस नंबर 416/बी, शाहपुर-1, शीट नंबर 49, शाहपुर, अहमदाबाद, गुजरात में कुल **18.00** मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की

पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+3 मंजिल+सीढ़ी केबिन कक्ष के साथ जीएफ=1एफ=2एफ =3एफ=43.42 वर्गमीटर, एससी=09.88 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया कि आवेदक प्रस्तावित निर्माण शुरू होने से पहले अहमदाबाद नगर निगम की विरासत संरक्षण समिति से मंजूरी प्राप्त कर ले। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 09</u>

(श्रीमती शांताबेन, स्वर्गीय चतुरभाई पटेल की पत्नी, सी/ओ धोरिया डिजाइन, (जगदीश बी. पटेल), सी/17, दूसरी मंजिल, पद्मावती फ्लैट, नं. नारानगर बस स्टॉप, नरोदा, अहमदाबाद, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीएस नंबर 515, शीट नंबर 9, सब प्लॉट/बंगला नंबर टी/35, एफपी नंबर 37, टीपीएस नंबर 3 एलिसब्रिज-उस्मानपुरा खंड (विविध अंतिम), उस्मानपुरा, अहमदाबाद, गुजरात में कुल **22.80** मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ (एचपी) + 6 मंजिलों के साथ जीएफ (एचपी)=1एफ = 2एफ=3एफ=4एफ=5एफ=6एफ=272.91 वर्गमीटर, एससी=37.13 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 10</u>

(श्री टी किन्निरैया, 7वां वार्ड, रेलवे क्रॉस के पास, अनंतशयानगुडी गांव, होसपेटे तालुक, विजयनगर जिला, कर्नाटक-583201)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने इस टिप्पणी के साथ मामले को **वापस भेजने का** निर्णय लिया कि स्व-घोषणा पत्र में प्रस्तावित निर्माण स्थल का पता नहीं था। आवेदक आवश्यक अनुपालन के बाद सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

मामला संख्या: 11

(श्रीमती एस. अर्चना, 41/1404/3/1, शंकरपुरम कडपा, आंध्र प्रदेश-516002)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-I/फॉर्म-II और भवन योजना में ऊंचाई और तलक्षेत्र का मेल नहीं है।
ख) संपत्ति के दस्तावेज संलग्न नहीं पाये गये।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश के माध्यम से प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

मामला संख्या: 12

(सुनील कुमार दास, कॉलेज रोड, रस्तोला, लक्ज़री लॉज के पास, पीओ + पीएस-बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल-722122)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को ऊंचाई 7.50 मीटर तक सीमित रखने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया (सभी को सम्मिलित करते हुए)। आवेदक अनुपालन के बाद सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ आवेदन पुन: प्रस्तुत करे।

मामला संख्या: 13

(कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जलगांव, लोक निर्माण विभाग, कलेक्टर कार्यालय के सामने, जलगांव, महाराष्ट्र)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को डोंगरी नदी जो केंद्रीय संरक्षित स्मारक "चंडिका देवी के मंदिर" से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (88.00

मीटर) में स्थित है, पर स्टील पैदल यात्री फुट ब्रिज के प्रस्तावित निर्माण के बारे में प्राधिकरण को एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा।

मामला संख्या: 14

(श्रीमती ईशा देवी, पता- टी 4/4, पुलिस लाइन, पांडेपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया:

क) प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित निर्माण स्थल की तस्वीर से पता चला कि प्रस्तावित निर्माण कार्य पूरा होने वाला है, जबकि सीए, सारनाथ और सर्वेयर, सारनाथ, एएसआई, सारनाथ की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया था।
ख) फॉर्म-I/फॉर्म-II और भवन योजना में ऊंचाई का मेल नहीं है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी के माध्यम से प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

मामला संख्या: 15

(श्री शिवानंद शिवप्पा अगाड़ी, दयमाव्वागुडी के पास, नारेगल पोस्ट, हंगल, तालुक, जिला-हावेरी, कर्नाटक-581148)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने नंबर 164/बी/3, दयमव्वागुडी के पास, नारेगल, हंगल तालुक, हावेरी में कुल **05.30** मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ भूतल के साथ जीएफ = 47.66 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 16

(द एस्से पेट्रोलियम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:- श्री शन्मुख पाटिल, मकान नं. 2-909/49/61/1, केएन पाटिल, वीरेंद्र पाटिल लेआउट, तीसरा ब्लॉक, सेदम रोड, कालाबुरागी-585105, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को केंद्रीय संरक्षित स्मारक "गुलबर्गा किला" के आसपास वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग पंप स्टेशन के निर्माण के लिए प्राधिकरण को **पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन** देने के लिए कहा।

मामला संख्या: 17

(श्री बी. श्रीनिवासन पुत्र बालाकृष्णन, बी.श्रीनिवासन (पुत्र) बालकृष्णन नं.648 ओर्रानथोप्पु (सेंट) थिरुचेराई (पीओ) कुंभकोणम (टीके) तंजावुर (डीटी) पिन कोड 612605, तमिलनाडु)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आरएस संख्या 281/12ए, दारासुरम, कुंभकोणम, तंजावुर, तमिलनाडु में कुल 07.77 मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ प्रस्तावित जीएफ=1एफ=79.15 वर्गमीटर, खुला स्थान क्षेत्र=170.85 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 18

(श्री रणजीत कुमार, निर्माण एवं डिज़ाइनर सेवा इकाई-5, यूपी जल निगम (नगरीय) कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक से विरासत प्रभाव मूल्यांकन (एचआईए) रिपोर्ट जमा करने को कहा। आवेदन के साथ प्रस्तुत संशोधित स्थल योजना से पता चला कि मल्टीलेवल पार्किंग के प्रस्तावित निर्माण का निर्मित क्षेत्र

5000 वर्गमीटर से अधिक है। आवेदक उपरोक्त टिप्पणी का अनुपालन कर सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या: 19</u>

(श्री निसार अहमद, ग्राम बर्डपुर नंबर 01 टोला अलीगढवा, पोस्ट पचंगावा, थाना कपिलवस्तु, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश-272202)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-I/फॉर्म-II और बिल्डिंग प्लान में ऊंचाई का मेल नहीं है।

ख) प्रपत्र-II में संरक्षित स्मारक का नाम "कपिलवस्तु" बताया गया है, जबकि स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में इसका उल्लेख "पिपराहवा, बर्डपुर एस्टेट परगना बांसी ईस्ट टप्पा घोस में शाक्यों के "स्तूप और मठ" के रूप में किया गया है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या: 20</u>

(श्री कौसर जमाल अंसारी, ग्राम बर्डपुर नंबर 1 टोला अलीगढवा, तहसील नौगढ़, पोस्ट पचनगावा, जिला-सिद्धार्थनगर-272202, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) भवन योजना में तलक्षेत्र स्पष्ट एवं सुपाठ्य नहीं है।

ख) प्रपत्र-II में संरक्षित स्मारक का नाम "कपिलवस्तु" बताया गया है, जबकि स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में इसका उल्लेख "पिपराहवा, बर्डपुर एस्टेट परगना बांसी ईस्ट टप्पा घोस में शाक्यों के "स्तूप और मठ" के रूप में किया गया है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या: 21</u>

(श्रीमती अजाला खातून, ग्राम बर्डपुर नंबर 1 टोला करमहवा, पोस्ट- पचनगावा, तहसील नौगढ़, जिला-सिद्धार्थनगर-272202, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को इस टिप्पणी के साथ **वापस भेजने का** निर्णय लिया कि फॉर्म-II एक आवासीय भवन के निर्माण को इंगित करता है जबकि भवन योजना में प्रस्तावित कार्य को खुदरा दुकान भवन के निर्माण के रूप में दर्शाया गया है। आवेदक उपरोक्त टिप्पणी का अनुपालन कर सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या: 22</u>

(श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्रीमती विभा गुप्ता, डॉ खुशबू गुप्ता, डॉ अंकिता गुप्ता, 41/426, राम जूस रोड, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) जैसाकि प्राधिकरण ने 12.10.2023 को आयोजित अपनी 409वीं बैठक में पहले ही निर्देश दिया था, प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 10.50 मीटर (सभी को मिलाकर) तक सीमित नहीं की गई है।

ख) भवन योजना पर किसी लाइसेंस प्राप्त वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षर और मोहर नहीं लगाई गई है।

उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से संशोधित भवन योजना के साथ प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करे।

<u>मामला संख्या: 23</u>

(श्रीमती सरोज बाला चैट्री, राकेश कुमार चैट्री, ईशा वीरांगना लाल, एनोश अंशुमन चैट्री, क्राइस्ट चर्च कॉलेज कैंपस, हजरतगंज, एमजी मार्ग, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सर्वेक्षण क्रमांक 4, बाल्मीकि मार्ग हजरत गंज, लखनऊ सदर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कुल 07.30 मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=132.238 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 24</u>

(श्री कमल कांत शर्मा पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद शर्मा, 26 बी, दवारिका पुरी, कृष्णा नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट/सर्वेक्षण संख्या 25, द्वारिकापुरी, तालुक-मथुरा, जिला-मथुरा, राज्य-उत्तर प्रदेश में कुल 07.15 मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=118.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, आगरा की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 25</u>

(श्री क्रुणाल कुमार, प्रकाश कुमार शाह, प्रधान शिक्षक, कुमार शाला 1, डभोई, मोतीबाग के पास, डभोई, ताल दाभो, जिला. वडोदरा, गुजरात)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने सीएस नंबर 2588 (भाग), वार्ड-दाभोई-1, शीट नंबर 66, दाभोई, वडोदरा, गुजरात में कुल 10.50 मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पैंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+2एफ के साथ जीएफ=1एफ=2एफ=364.14 वर्गमीटर

तलक्षेत्र के सरकारी स्कूल के भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 26

(बसंगौड़ा जी शेट्टीनागोदर, सुद्देश्वर नगर, साई नगर के पास, मेन रोड, उंकल एक्सटेंशन, हुबली, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर-7, आरएस नंबर 35 बी, अंकल, धारवाड़, कर्नाटक में कुल 7.14 मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=107.14 वर्गमीटर, 1एफ=94.39 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

मामला संख्या: 27

(मां तारा व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, 83 बेंटिक स्ट्रीट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700001)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आवेदक को प्रस्तावित निर्माण की छत की संरचना की ऊंचाई का उल्लेख करते हुए सक्षम प्राधिकारी, पश्चिम बंगाल के माध्यम से संशोधित भवन योजना फिर से जमा करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया।

मामला संख्या: 28

(श्री पंचाक्षरप्पा बी, पुत्र बसवराजप्पा, बल्लीगारा केरी, पोस्ट, बल्लीगावी, टीक्यू, शिकारीपुरा, जिला-शिमोगा, कर्नाटक-577428)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने जीपी खाता नंबर 66, एस्वाथु नंबर 152400403600100121, बल्लीगावी गांव, शिकारीपुरा, तालुक, जिला-शिवमोग्गा, कर्नाटक में कुल 4.80 मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ के साथ जीएफ=122.90 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 29</u>

(श्रीमती पुष्पा वी. गवली, शाहपुर अगासी, पटेलगल्ली, मकान नंबर 35/2 से 514, जिला- विजयपुर, कर्नाटक- 586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 14, सर्वे नंबर 23/सी, वार्ड नंबर 1ए, महलबगायत, विजयपुर में कुल 7.40 मीटर ऊंचाई (ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=140.86 वर्गमीटर, 1एफ=127.11 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या: 30</u>

(श्रीमती लता पुत्री बसवराज चोली पत्नी आनंद रेशमी, मकान नंबर 1524, खाजा आमीन दरगा, शटगर गली, जिला-विजयपुर, कर्नाटक-586101)

आवेदन पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने आरएस नंबर 811/सी, प्लॉट नंबर 187, दरगा के पास, तक्के बाईपास, बीडीए प्लॉट्स, रिंग रोड, महलभगायत, विजयपुर में कुल 7.45 मीटर ऊंचाई

(ममटी, पैरापेट जल भंडारण टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत उद्यान आदि की पेंट हाउस संरचना सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ=1एफ=35.00 वर्गमीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति देने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों का पालन करने के अध्यधीन की जाती है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का भी पालन करना चाहिए।